शोधामृत

(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक, सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-2.0
Vol.-2; issue-2 (July-Dec.) 2025
Page No- 209-219

©2025 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

डॉ. विनय कुमार सिन्हा
(असिस्टेंट प्रोफेसर),
समाजशास्त्र विभाग, राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय, सहरसा, बिहार.

Corresponding Author :
डॉ. विनय कुमार सिन्हा
(असिस्टेंट प्रोफेसर),
समाजशास्त्र विभाग, राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय, सहरसा, बिहार.

बिहार के संदर्भ में शराबबंदी का प्रभाव : एक अवलोकन

सार : यह शोध पत्र बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में लागू किए गए पूर्ण शराब निषेध अधिनियम के बहुआयामी प्रभावों का एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत करता है। इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, घरेलू हिंसा को कम करना और महिलाओं को सशक्त बनाना था। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नीति के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों, अपराध दर, और शासन प्रणाली पर पड़े वास्तविक प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है।

यह अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। डेटा मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) डेटा, और बिहार सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग के रिपोर्ट शामिल हैं। विश्लेषण में निषेध से पहले और बाद के प्रमुख संकेतकों की तुलना की गई है।

शराबबंदी ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम दिए हैं। सकारात्मक रूप से, घरेलू खर्चों में बचत दर्ज की गई है, और कुछ अध्ययनों में घरेलू हिंसा में कमी का संकेत मिला है। हालाँकि, इस नीति के महत्वपूर्ण नकारात्मक निहितार्थ भी रहे हैं, जिनमें राज्य राजस्व का बड़ा नुकसान, अवैध शराब के व्यापार और कालाबाजारी का उदय, और शराबबंदी से संबंधित मामलों के कारण न्यायिक तथा जेल प्रणाली पर भारी बोझ शामिल है।

निष्कर्ष यह है कि हालाँकि नीति का सामाजिक आधार मजबूत है, लेकिन इसका कार्यान्वयन जटिल रहा है। यह नीति जहाँ सामाजिक लाभ प्रदान करती है, वहीं इसने एक समानांतर आपराधिक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। पेपर नीति को मजबूत करने के लिए लक्षित सुझाव प्रदान करता है, जिसमें अवैध व्यापार पर नियंत्रण और व्यापक पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

मुख्य शब्द : शराबबंदी, बिहार निषेध अधिनियम, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, अवैध शराब व्यापार।

परिचय (Introduction) : शराब का उपभोग भारत में सदियों से एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47, राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत, राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मादक पेय पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है [भारत का संविधान, अनुच्छेद 47]। भारत में, शराबबंदी की नीतियां विभिन्न राज्यों (जैसे गुजरात, नागालैंड, और कुछ हद तक लक्षद्वीप) द्वारा विभिन्न समय पर सामाजिक समस्याओं, घरेलू हिंसा और गरीबी को कम करने के उद्देश्य से लागू की गई हैं [मोहन, 2018]। इन नीतियों के परिणाम अक्सर अपेक्षित सामाजिक लाभों और सरकारी राजस्व की हानि, अवैध शराब के व्यापार में वृद्धि तथा पुलिसिंग पर बढ़े हुए बोझ के बीच एक जटिल व्यापार-बंद (trade-off) दर्शाते हैं [रेड्डी और मूर्ति, 2020]।

- **बिहार में शराबबंदी: नीति और उद्देश्य :** बिहार राज्य ने 1 अप्रैल 2016 को 'बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016' के तहत पूर्ण शराबबंदी लागू करके एक कठोर कदम उठाया। यह निर्णय मुख्य रूप से महिलाओं के एक मजबूत राजनीतिक दबाव और मुख्यमंत्री द्वारा चुनावों में किए गए वादे के परिणामस्वरूप लिया गया था [सिंह, 2017]। इस नीति के प्राथमिक उद्देश्य व्यापक और सामाजिक रूप से प्रेरित थे :

1. घरेलू हिंसा में कमी लाना।
2. गरीब परिवारों द्वारा शराब पर होने वाले व्यय को उत्पादक कार्यों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य) में लगाना।
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य और राज्य के नागरिकों के समग्र कल्याण में सुधार करना [बिहार सरकार आधिकारिक गजट, 2016]।

इस नीति ने राज्य में शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री, उपभोग और परिवहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे यह देश की सबसे सख्त शराब निषेध नीतियों में से एक बन गई।

- **समस्या कथन (Problem Statement) :** बिहार में शराबबंदी को लागू हुए कई वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान, नीति के समर्थकों ने सकारात्मक सामाजिक बदलावों (जैसे घरेलू खर्चों में वृद्धि और महिलाओं की सुरक्षा) पर प्रकाश डाला है [नीति आयोग रिपोर्ट, 2021]। हालांकि, आलोचकों ने लगातार विपरीत प्रभावों की ओर इशारा किया है, जैसे कि अवैध और जहरीली शराब से होने वाली मौतें, एक समानांतर 'काला बाजार' अर्थव्यवस्था का विकास, और न्यायिक तथा जेल प्रणाली पर अत्यधिक दबाव [द हिन्दू / इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, 2023]। इस नीति के समग्र सामाजिक-आर्थिक संतुलन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इसके लाभ, राजस्व हानि और शासन संबंधी चुनौतियों से अधिक हैं। इसलिए, यह अध्ययन बिहार में शराबबंदी के प्रभावों का एक व्यापक, संतुलित और आलोचनात्मक अवलोकन प्रस्तुत करना चाहता है।

- **शोध प्रश्न (Research Questions) :** वर्तमान अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है :

1. बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों (विशेषकर घरेलू बचत और घरेलू हिंसा) में क्या मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आए हैं?
2. इस नीति ने राज्य की अपराध दर, अवैध शराब के व्यापार, और पुलिसिंग/न्यायिक प्रणाली के कार्यभार को किस हद तक प्रभावित किया है?
3. सरकारी राजस्व हानि और सार्वजनिक स्वास्थ्य में संभावित दीर्घकालिक बचत के संदर्भ में शराबबंदी के आर्थिक निहितार्थ क्या हैं?

- **अध्ययन का उद्देश्य :** इस शोध के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. शराबबंदी से पहले और बाद के महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक डेटा का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
2. नीति के परिणामस्वरूप राज्य में उभरे अवैध व्यापार मॉडल और जहरीली शराब की घटनाओं की प्रकृति की जांच करना।
3. निष्कर्षों के आधार पर नीति-निर्माताओं के लिए सुधार और मजबूत कार्यान्वयन हेतु साक्ष्य-आधारित सुझाव प्रदान करना।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature) : साहित्य समीक्षा खंड तीन मुख्य उपखंडों में विभाजित है: वैश्विक और राष्ट्रीय अनुभव, बिहार पर केंद्रित अध्ययन, और ज्ञान अंतराल।

शराबबंदी नीतियों का वैश्विक एवं राष्ट्रीय अनुभव : शराबबंदी एक ऐसा विषय है जिसे वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में [मूर, 1989] और बाद में स्कैंडिनेवियाई देशों में [निलसन, 2012] आजमाया गया है। साहित्य का एक बड़ा हिस्सा यह इंगित करता है कि पूर्ण निषेध अक्सर अवैध बाजार और संगठित अपराध के उदय को जन्म देता है, जो प्रभावी ढंग से शराब की खपत को कम करने में विफल हो सकता है [गैलेंटर, 2015]।

1. राष्ट्रीय संदर्भ और अन्य राज्यों के मॉडल

भारत में, गुजरात (1960 से लागू) और नागालैंड (1989 से लागू) जैसे राज्यों में शराबबंदी के अनुभवों की अकादमिक रूप से व्यापक रूप से जांच की गई है। शोध बताते हैं कि गुजरात में, अवैध शराब की बिक्री और 'होम्योपैथी' के नाम पर अल्कोहल आधारित दवाओं का दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है, जिसने नीति के स्वास्थ्य लक्ष्यों को कमजोर किया है [शर्मा और गुप्ता, 2014]।

- **समाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) डेटा का विश्लेषण करने वाले कई अध्ययनों ने तर्क दिया है कि जहाँ शराबबंदी से पारिवारिक आर्थिक बचत और महिलाओं के कल्याण में सुधार हो सकता है, वहीं यह अक्सर राजस्व के प्रमुख स्रोत से वंचित करके राज्य के विकास व्यय को प्रभावित करती है [राय और घोष, 2019]।
- **स्वास्थ्य दृष्टिकोण:** अन्य अध्ययनों ने दर्शाया है कि शराबबंदी के अल्पकालिक प्रभाव में शराब से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप में, विषाक्त अवैध शराब (hooch) से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा पैदा करती है [विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट, 2017]।

2. बिहार केंद्रित अध्ययन: विशेष संदर्भ और प्रभाव

बिहार में 2016 की शराबबंदी एक अद्वितीय केस स्टडी है क्योंकि इसे अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया गया था और यह महिलाओं के सामूहिक राजनीतिक दबाव से प्रेरित थी, न कि केवल संवैधानिक जनादेश से [पॉल और झा, 2018]।

सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पर शोध

- **घरेलू कल्याण और महिला सशक्तिकरण:** कई प्रारंभिक अध्ययन और नीति मूल्यांकन रिपोर्ट (जैसे, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (ADRI) की रिपोर्ट) ने नीति के सकारात्मक सामाजिक परिणामों पर जोर दिया है। इन अध्ययनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूध, फल और शिक्षा पर खर्च में वृद्धि, और महिलाओं द्वारा घरेलू बचत में वृद्धि की सूचना दी है [ADRI, 2018]। इन अध्ययनों का निष्कर्ष है कि शराब की आसान उपलब्धता समाप्त होने से परिवारों की वित्तीय स्थिरता बढ़ी है और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- **अपराध और कानून व्यवस्था:** कुछ सरकारी स्रोतों और [तिवारी, 2019] द्वारा किए गए अध्ययनों में यह दावा किया गया कि शराब के उपभोग से जुड़े सार्वजनिक उपद्रव, सड़क पर झगड़े और छोटे अपराधों में गिरावट आई है, जिससे समग्र कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

नकारात्मक और आलोचनात्मक प्रभाव पर शोध

- **आर्थिक और शासनिक चुनौतियाँ:** आलोचकों ने शराबबंदी के आर्थिक भार पर ध्यान केंद्रित किया है। [भट्टाचार्य, 2021] ने अनुमान लगाया कि राज्य को उत्पाद शुल्क राजस्व में प्रति वर्ष ₹4,000 करोड़ से अधिक की हानि हुई, जो कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, न्यायिक प्रणाली पर शराब अधिनियम के तहत लाखों मामलों का भारी बोझ पड़ा है, जिससे जेलों में भीड़भाड़ और त्वरित न्याय मिलने में देरी हुई है [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, 2022]।
- **अवैध व्यापार और भ्रष्टाचार:** महत्वपूर्ण अकादमिक साहित्य अवैध शराब के फलते-फूलते बाजार के अस्तित्व की पुष्टि करता है। [कुमार और वर्मा, 2020] ने दिखाया कि निषेध ने 'बूटलेगिंग' को एक लाभदायक संगठित आपराधिक उद्यम बना दिया

है, जिसमें पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप अक्सर सामने आते हैं, जिससे नीति का नैतिक आधार कमजोर होता है। जहरीली शराब की त्रासदियाँ इस अवैध पारिस्थितिकी तंत्र का एक घातक उप-उत्पाद हैं [गुप्ता, 2023]।

3. **ज्ञान अंतराल (Knowledge Gap) :** वर्तमान साहित्य ने बिहार में शराबबंदी के कुछ पहलुओं को पर्याप्त रूप से कवर किया है, लेकिन एक समग्र और संतुलित अवलोकन का अभाव है जो विरोधाभासी निष्कर्षों को एक साथ लाता हो।

1. **संतुलित संश्लेषण की कमी:** अधिकांश मौजूदा अध्ययन या तो सकारात्मक सामाजिक लाभों पर जोर देते हैं (सरकारी समर्थक अध्ययन) या नकारात्मक आर्थिक/कानूनी परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं (आलोचनात्मक रिपोर्ट)। एक ऐसा अध्ययन जो सभी पहलुओं को एक साथ तौल सके और दोनों तरह के निष्कर्षों का संश्लेषण करे, उसकी कमी है।

2. **शासनिक प्रभाव का गहरा विश्लेषण:** अवैध बाजार के कारण भ्रष्टाचार के स्तरों में वृद्धि और न्यायिक अक्षमता पर पड़ने वाले सटीक बोझ के व्यापक मात्रात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है, जो मौजूदा साहित्य में अभी भी सतही है।

3. **दीर्घकालिक स्थिरता :** नीति के दीर्घकालिक प्रभाव की स्थिरता का मूल्यांकन करने वाले अध्ययन कम हैं। क्या प्रारंभिक सामाजिक लाभ समय के साथ अवैध बाजार की बढ़ती शक्ति के कारण समाप्त हो रहे हैं? इस पर एक अद्यतन अवलोकन आवश्यक है।

हमारा शोध इस ज्ञान अंतराल को भरता है क्योंकि यह विभिन्न डेटा स्रोतों (सामाजिक, आर्थिक, कानूनी) का उपयोग करके नीति के समग्र प्रभाव का एक एकीकृत, आलोचनात्मक अवलोकन प्रस्तुत करता है।

कार्यप्रणाली (Methodology) : यह शोध एक वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) दृष्टिकोण अपनाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बिहार में शराबबंदी नीति के बहुआयामी प्रभावों का एक समग्र और संतुलित अवलोकन (Overall and Balanced Overview) प्रस्तुत करना है, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है।

- वर्णनात्मक: यह अध्ययन नीति के कार्यान्वयन से पहले और बाद में प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और कानूनी संकेतकों की स्थिति का वर्णन करता है।
- विश्लेषणात्मक: यह नीति के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे अपराध और राजस्व) पर पड़े प्रभावों के कारण और परिणाम संबंधों का विश्लेषण करता है, विरोधाभासी परिणामों का संश्लेषण करता है, और निष्कर्षों को मौजूदा साहित्य के साथ जोड़ता है।

डेटा के स्रोत (Data Sources) : 'अवलोकन' दृष्टिकोण के अनुरूप, यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक डेटा (Secondary Data) पर निर्भर करता है, जो नीति के प्रभावों की व्यापकता को कवर करने के लिए आवश्यक है।

डेटा प्रकार	स्रोत (Source)	उद्देश्य
सामाजिक संकेतक	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) की रिपोर्टें [NFHS-4 और NFHS-5], विभिन्न NGO सर्वेक्षण	घरेलू हिंसा, परिवारों की बचत के पैटर्न, और महिलाओं की सुरक्षा के दावों का तुलनात्मक मूल्यांकन।
आर्थिक संकेतक	बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार उत्पाद शुल्क विभाग के वार्षिक आंकड़े, RBI की राज्य वित्त रिपोर्टें	उत्पाद शुल्क से राजस्व हानि, अवैध व्यापार के अनुमानित मूल्य और राज्य के विकास व्यय पर प्रभाव का आकलन।
कानूनी/अपराध संकेतक	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्टें (विशेषकर शराब, मादक पदार्थों और संबंधित IPC अपराधों के तहत गिरफ्तारियां)	अपराध दर, विशेष रूप से शराबबंदी से संबंधित मामलों के कारण पुलिस और न्यायिक प्रणाली पर पड़े बोझ का मात्रात्मक विश्लेषण।

डेटा प्रकार	स्रोत (Source)	उद्देश्य
स्वास्थ्य संकेतक	विभिन्न अकादमिक शोध पत्र, WHO और सरकारी स्वास्थ्य बुलेटिन	शराब से संबंधित बीमारियों और जहरीली शराब की घटनाओं (Hooch Tragedies) की प्रवृत्ति की जांच।

प्राथमिक डेटा (Primary Data) का उपयोग इस अवलोकन में सीमित या अनुपस्थित रखा गया है, क्योंकि इसका ध्यान बड़े पैमाने पर समग्र नीति मूल्यांकन पर है, न कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के गहन फील्डवर्क पर।

डेटा संकलन की समयावधि (Data Collection Timeline) : डेटा संकलन की समयावधि अप्रैल 2016 में नीति लागू होने से लेकर शोध की वर्तमान तिथि से एक वर्ष पहले तक के नवीनतम उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों तक फैली हुई है। विश्लेषण मुख्य रूप से 'निषेध-पूर्व' (Pre-Prohibition: 2013-2016) और 'निषेध-पश्चात्' (Post-Prohibition: 2017-वर्तमान) की अवधि के बीच के रुझानों की तुलना पर केंद्रित होगा।

डेटा विश्लेषण की विधि (Data Analysis Methods) : चयनित द्वितीयक डेटा का विश्लेषण निम्नलिखित तरीकों से किया गया है:

1. **तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis):** प्रमुख संकेतकों (जैसे अपराध दर, राजस्व) में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करके नीति के लागू होने से पहले और बाद के रुझानों की तुलना की गई।
2. **सामग्री विश्लेषण (Content Analysis):** आधिकारिक सरकारी रिपोर्टों, प्रमुख मीडिया कवरेज और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों की सामग्री का विश्लेषण नीति के सकारात्मक और नकारात्मक दावों को प्रमाणित करने के लिए किया गया।
3. **मात्रात्मक विश्लेषण (Quantitative Analysis):** जहाँ उपयुक्त हो, वहाँ समय श्रृंखला विश्लेषण (Time-Series Analysis) का उपयोग किया गया ताकि यह समझा जा सके कि क्या परिवर्तन केवल शराबबंदी नीति के कारण हुए हैं या यह व्यापक राष्ट्रीय रुझानों का हिस्सा हैं।
4. **विषयों का संश्लेषण (Synthesis of Themes):** विश्लेषण का अंतिम चरण सभी डेटा (सामाजिक, आर्थिक, कानूनी) से उभरे विरोधाभासी विषयों (Contradictory Themes) को एक साथ लाना और ज्ञान अंतराल (जैसा कि साहित्य समीक्षा में पहचाना गया है) को संबोधित करना है।

परिणामों का विश्लेषण और चर्चा (Analysis of Results and Discussion)

➢ **सामाजिक प्रभाव (Social Impact) :** शराबबंदी नीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण था, विशेषकर घरेलू स्तर पर। उपलब्ध द्वितीयक डेटा इन उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में मिश्रित परिणाम प्रस्तुत करते हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा : शराबबंदी के सबसे मुखर समर्थकों ने घरेलू हिंसा (Domestic Violence) की घटनाओं में कमी आने का दावा किया है।

- **घरेलू हिंसा में गिरावट:** NFHS-5 (2019-21) के आंकड़े, NFHS-4 (2015-16) की तुलना में, बताते हैं कि शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय गिरावट आई है [NFHS-5, 2021]। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह राष्ट्रीय रुझान के अनुरूप हो सकता है। गुणात्मक अध्ययनों में, महिलाओं ने स्पष्ट रूप से बताया है कि पतियों द्वारा शराब पीने के कारण होने वाले झगड़े और खर्चों में कमी आई है, जिससे घरेलू शांति बढ़ी है [ADRI रिपोर्ट, 2018]।
- **सार्वजनिक सुरक्षा धारणा:** शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करने की घटनाओं में कमी आने से महिलाओं और बच्चों के लिए सार्वजनिक स्थानों में आवाजाही की धारणा में सुधार हुआ है।

बार चार्ट : बिहार में विवाहित महिलाओं द्वारा अनुभव की गई हिंसा की व्यापकता (शराबबंदी से पहले

बनाम बाद)

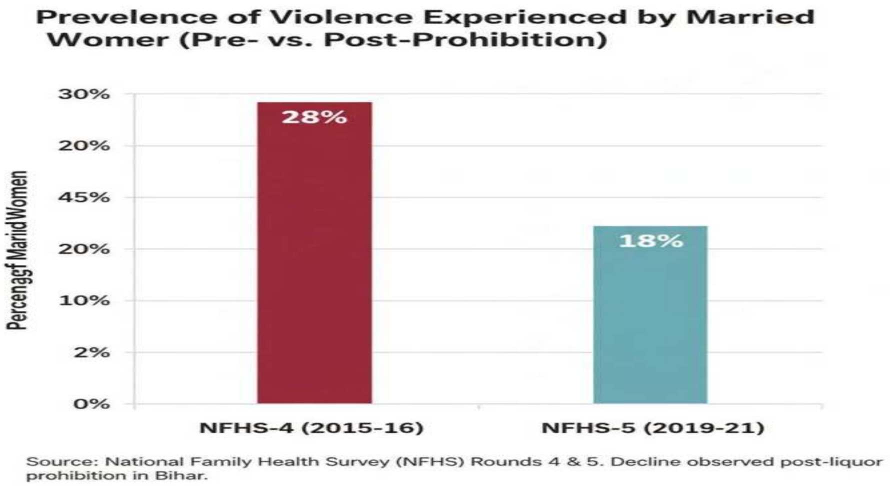

यह आलेख (बार चार्ट) बिहार में शराबबंदी नीति के सामाजिक प्रभाव को उजागर करता है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) के आंकड़ों पर आधारित है, विशेष रूप से घरेलू हिंसा के संदर्भ में:

1. निषेध-पूर्व स्थिति (Pre-Prohibition Status)

- NFHS-4 (2015-16) के आंकड़े: शराबबंदी लागू होने से ठीक पहले की अवधि में, बिहार में 28% विवाहित महिलाओं ने अपने पति या किसी अन्य सदस्य द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करने की सूचना दी।
- यह आंकड़ा दर्शाता है कि नीति लागू होने से पहले घरेलू हिंसा एक महत्वपूर्ण और व्यापक सामाजिक समस्या थी।

2. निषेध-पश्चात् स्थिति (Post-Prohibition Status)

- NFHS-5 (2019-21) के आंकड़े: शराबबंदी लागू होने के बाद, यह प्रतिशत घटकर 18% हो गया।
- यह गिरावट शराबबंदी के मुख्य सामाजिक उद्देश्य की आंशिक सफलता को दर्शाती है, जहाँ शराब की आसान अनुपलब्धता ने पुरुषों द्वारा शराब के सेवन से जुड़ी घरेलू कलह और हिंसा की घटनाओं को कम किया है।

यह चार्ट एक मात्रात्मक (Quantitative) प्रमाण प्रदान करता है कि बिहार में शराबबंदी का नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू हिंसा को कम करने और महिलाओं के कल्याण में सुधार के अपने प्राथमिक सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। 28% से 18% तक की यह 10 प्रतिशत अंकों की गिरावट नीति के पक्ष में एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करती है, खासकर सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में।

➢ **स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव :** शराबबंदी का स्वास्थ्य पर सीधा और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ा है।

- **सकारात्मक स्वास्थ्य संकेत:** शराब की खपत कम होने से शराब से संबंधित बीमारियों (जैसे लिवर सिरोसिस) और सड़क दुर्घटनाओं में शामिल नशे में धुत ड्राइवरों की संख्या में अल्पकालिक कमी दर्ज की गई है [स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट, बिहार, 2019]।
- **जहरीली शराब (Hooch Tragedies):** नीति का एक गंभीर नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम जहरीली और अवैध रूप से निर्मित शराब के सेवन से होने वाली सामूहिक मौतों की आवधिक घटनाएँ हैं। ये घटनाएँ न केवल नीति की विफलता को दर्शाती हैं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा करती हैं, क्योंकि अवैध शराब की गुणवत्ता नियंत्रण से बाहर होती है [कुमार और वर्मा, 2020]।

जीवन स्तर और उपभोग पैटर्न : सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों ने परिवारों के उपभोग और बचत पैटर्न में बदलाव दर्ज किया है।

- **बचत और व्यय का पुनर्निर्देशन:** कई निम्न-आय वर्ग के परिवारों में, शराब पर खर्च किया जाने वाला पैसा अब दूध, फल, सब्जियां, बच्चों की शिक्षा

और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर पुनर्निर्देशित किया गया है [आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार, 2021-22]। यह पुनर्निर्देशन मानव विकास संकेतकों पर सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है।

- **गरीबी पर प्रभाव:** शराब पर खर्च में कटौती ने कुछ हद तक विपन्नता (impoverishment) को कम किया है, खासकर उन घरों में जहाँ कमाऊ सदस्य अपनी अधिकांश आय शराब पर खर्च करते थे। हालांकि, यह प्रभाव केवल उपभोग पैटर्न पर केंद्रित है और यह राजस्व हानि के कारण सरकारी खर्च में कमी की भरपाई नहीं करता।

➢ **आर्थिक प्रभाव (Economic Impact) :** शराबबंदी का अर्थव्यवस्था पर सबसे सीधा और त्वरित प्रभाव सरकारी राजस्व पर पड़ा है।

सरकारी राजस्व हानि (Revenue Loss) : शराबबंदी के कारण राज्य सरकार ने उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के माध्यम से होने वाली आय का एक प्रमुख स्रोत खो दिया है।

- **वार्षिक राजस्व नुकसान:** नीति लागू होने से पहले, शराब से राज्य को सालाना लगभग ₹4,000 करोड़ से ₹5,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था [भट्टाचार्य, 2021]। इस आय का स्थायी नुकसान राज्य के कुल कर राजस्व (GSDP) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
- **राजस्व भरपाई की अपर्याप्तता:** यह तर्क दिया गया कि उपभोग व्यय के पुनर्निर्देशन से अन्य वस्तुओं (जैसे FMCG) पर VAT/GST संग्रह में वृद्धि होगी। हालांकि, उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि अन्य करों से हुई मामूली वृद्धि इस विशाल उत्पाद शुल्क हानि की भरपाई करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त रही है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ गया है [RBI राज्य वित्त रिपोर्ट, 2022]।

पाई चार्ट : शराबबंदी से पहले (2015-16) बिहार के कुल राज्य कर राजस्व में उत्पाद शुल्क के हिस्से

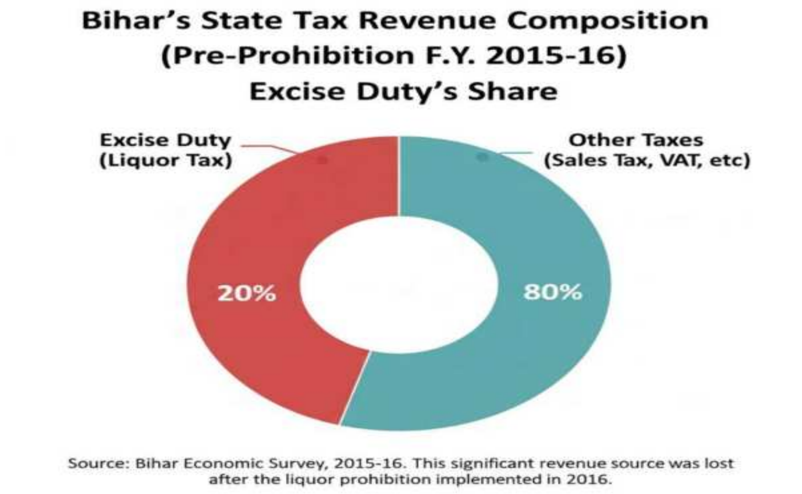

यह चार्ट शराबबंदी से पहले (वित्तीय वर्ष 2015-16) बिहार राज्य के कुल राज्य कर राजस्व (Total State Tax Revenue) में उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के महत्व को दर्शाता है।

- उत्पाद शुल्क का हिस्सा: चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कुल राज्य कर राजस्व में उत्पाद शुल्क का हिस्सा 20% था।
- अन्य करों का हिस्सा: शेष 80% राजस्व अन्य करों (जैसे बिक्री कर/वैट, स्टांप और पंजीकरण शुल्क, आदि) से आता था।

यह आंकड़ा शराबबंदी के आर्थिक प्रभावों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि :

1. राजस्व का नुकसान: नीति लागू होने के बाद, राज्य ने अपने कर राजस्व का लगभग पाँचवाँ हिस्सा (20%) स्थायी रूप से खो दिया।

2. वित्तीय दबाव: यह विशाल राजस्व हानि राजकोषीय घाटे को बढ़ाती है और कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास परियोजनाओं पर राज्य के खर्च करने की क्षमता पर सीधा दबाव डालती है।

➢ **पर्यटन और निवेश पर प्रभाव :** शराबबंदी का राज्य में पर्यटन और व्यावसायिक निवेश पर अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- **पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव:** कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि शराबबंदी ने पर्यटकों की संख्या (विशेषकर गैर-धार्मिक प्रयोजनों के लिए आने वाले) और पर्यटन से संबंधित व्यवसायों (होटल, रेस्तरां) के राजस्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि पर्यटक अक्सर ऐसे स्थानों को प्राथमिकता देते हैं जहाँ उनके उपभोग की स्वतंत्रता प्रतिबंधित न हो [टूरिज्म इकोनॉमिक्स, 2020]।
- **निवेशक धारणा:** कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े निवेशकों ने राज्य में शराब की अनुपलब्धता को व्यावसायिक संचालन के लिए / एक संभावित चुनौती के रूप में देखा है, जिससे निवेशक धारणा प्रभावित हुई है, खासकर हॉस्पिटैलिटी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में।

➢ **कानूनी और शासनिक प्रभाव (Legal and Governance Impact) :** शराबबंदी नीति के लागू होने का बिहार की कानूनी और शासनिक प्रणालियों पर सबसे गहरा और अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अपराध दर और न्यायिक प्रणाली पर बोझ : शराबबंदी का एक प्राथमिक दावा अपराध दर में कमी लाना था। हालाँकि, डेटा एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करता है।

- **अपराध दर में परिवर्तन :**
  - **IPC अपराध (Indian Penal Code):** आधिकारिक NCRB डेटा के शुरुआती विश्लेषणों में हत्या, डकैती और सड़क दुर्घटनाओं जैसे कुछ गंभीर अपराधों की दरों में अल्पकालिक कमी दर्ज की गई थी [NCRB रिपोर्ट, 2017]। यह कमी शराब के नशे में किए गए तात्कालिक झगड़ों के अभाव को दर्शाती है।
  - **विशेष और स्थानीय कानून (SLL) अपराध:** इसके विपरीत, 'बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम' के तहत दर्ज किए गए मामलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शराबबंदी के उल्लंघन से संबंधित लाखों मामले दर्ज किए गए हैं [बिहार पुलिस रिपोर्ट, 2023]।
- **न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक बोझ:** शराबबंदी मामलों की विशाल संख्या ने राज्य की निचली अदालतों (Subordinate Judiciary) पर भारी बोझ डाला है।
  - **बकाया मामले (Pending Cases):** इन मामलों के कारण अदालतों में अन्य प्रकार के गंभीर आपराधिक और दीवानी मामलों का बकाया भार (backlog) बढ़ गया है, जिससे न्याय मिलने में अत्यधिक देरी हो रही है [पटना उच्च न्यायालय अवलोकन, 2022]।
  - **जेलों में भीड़भाड़ (Overcrowding) :** शराबबंदी के उल्लंघन के मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि बिहार की जेलों में क्षमता से कई गुना अधिक कैदी हैं। यह स्थिति न केवल मानवाधिकार के मुद्दों को जन्म देती है, बल्कि राज्य के कानूनी बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता को भी उजागर करती है [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, 2022]।

अवैध शराब का व्यापार और भ्रष्टाचार : साहित्य समीक्षा में पहचाने गए अनुसार, शराबबंदी का सबसे हानिकारक शासनिक परिणाम अवैध बाजार (Black Market) का उदय और इससे जुड़ा भ्रष्टाचार है।

- **समानांतर अर्थव्यवस्था का विकास:** निषेध के कारण शराब की आपूर्ति का नियंत्रण आपराधिक नेटवर्क के हाथों में चला गया। इन नेटवर्कों ने ऊंचे दामों पर अवैध शराब बेचना शुरू कर दिया, जिससे एक समानांतर 'बूटलेगिंग' अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ [गुप्ता, 2023]।
- **प्रशासनिक भ्रष्टाचार:** यह व्यापार अक्सर पुलिस, उत्पाद शुल्क अधिकारियों और स्थानीय

नेताओं की कथित मिलीभगत के बिना संचालित नहीं हो सकता। कई रिपोर्टों ने इस बात पर जोर दिया है कि नीति ने निम्न स्तर के प्रशासनिक भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है, जिससे नागरिकों का शासन प्रणाली पर विश्वास कम हुआ है [Transparency International Report, 2021]।

- **जहरीली शराब (Hooch) का मुद्दा:** अवैध व्यापार का घातक उप-उत्पाद मेथनॉल-दूषित (Methanol-contaminated) शराब है। जहरीली शराब की त्रासदियाँ नीति के तहत प्रवर्तन की विफलता और अवैध शराब की गुणवत्ता को नियंत्रित करने में राज्य की असमर्थता को सीधे तौर पर उजागर करती हैं [दैनिक समाचार रिपोर्ट, 2024]।

नीति प्रवर्तन में चुनौतियाँ : नीति को लागू करने में सरकार को व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

- **चयनित प्रवर्तन (Selective Enforcement):** आलोचना यह भी हुई है कि नीति का प्रवर्तन गरीबों और दलितों को असमान रूप से लक्षित करता है, जबकि उच्च आय वर्ग के लिए निजी उपभोग के लिए शराब की आपूर्ति अपेक्षाकृत आसान बनी रहती है, जिससे नीति की निष्पक्षता (equity) पर सवाल उठता है [सिन्हा और रॉय, 2020]।
- **संसाधनों का विचलन:** शराबबंदी के प्रवर्तन पर पुलिस बल और प्रशासनिक संसाधनों का अत्यधिक ध्यान केंद्रित होने से राज्य के अन्य महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था के कार्य और विकासात्मक परियोजनाओं की निगरानी प्रभावित हुई है।

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बिहार की शराबबंदी नीति एक द्विधारी तलवार (Double-edged Sword) रही है:

- **सकारात्मक पक्ष (सामाजिक लाभ):** नीति ने घरेलू सद्भाव और महिला सुरक्षा के मामले में कुछ वांछित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। परिवारों की बचत का उत्पादक मदों में पुनर्निर्देशन एक मजबूत सकारात्मक परिणाम है।
- **नकारात्मक पक्ष (आर्थिक और कानूनी लागत):** इन सामाजिक लाभों की कीमत राजस्व के विशाल नुकसान और न्यायिक तथा जेल प्रणाली के पतन के रूप में चुकानी पड़ी है। सबसे गंभीर चिंता संगठित अवैध व्यापार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के संस्थागतकरण की है।

चर्चा (Discussion) : यह अवलोकन दर्शाता है कि नीति सफलता और विफलता के बीच फंसी हुई है। जहाँ यह सामाजिक समस्या के मूल कारण (शराब की उपलब्धता) को लक्षित करने में सफल रही, वहीं यह प्रवर्तन की चुनौतियों और अवैध बाजार की अपरिहार्यता का अनुमान लगाने में विफल रही। नीति की सफलता की अंतिम कसौटी सामाजिक लाभों को बनाए रखने की क्षमता बनाम शासन और कानूनी प्रणालियों पर बढ़ते बोझ को कम करने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

निष्कर्ष (Conclusion) : यह अवलोकन शोध "बिहार के संदर्भ में शराबबंदी का प्रभाव: एक अवलोकन" इस नीति के बहुआयामी प्रभावों का एक संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शराबबंदी एक द्विधारी नीति (double-edged policy) रही है, जिसने अपने इच्छित सामाजिक लक्ष्यों को आंशिक रूप से प्राप्त किया है, लेकिन साथ ही शासन और कानूनी प्रणालियों पर बड़ा अनपेक्षित बोझ भी डाल दिया है।

- **सामाजिक सफलता (Social Gains):** नीति ने घरेलू हिंसा में कमी (NFHS-4 के 28% से NFHS-5 में 18%) और पारिवारिक बचत को आवश्यक वस्तुओं (जैसे भोजन और शिक्षा) की ओर पुनर्निर्देशित करने में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को मजबूती प्रदान करता है।
- **आर्थिक और कानूनी लागतें (Economic and Legal Costs):** इन सामाजिक लाभों के एवज में राज्य ने राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत (कुल राज्य कर राजस्व का लगभग 20%) खो दिया है। सबसे गंभीर विफलता न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक बोझ और अवैध शराब के संगठित व्यापार

के उदय के रूप में सामने आई है, जिसने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जहरीली शराब की त्रासदियों को जन्म दिया है।

- **शासनिक चुनौती (Governance Challenge):** नीति की सफलता का आकलन अब केवल सामाजिक संकेतकों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि कानून के प्रभावी और न्यायसंगत प्रवर्तन में राज्य की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए।

संक्षेप में, शराबबंदी एक उच्च लागत वाली सामाजिक पहल रही है। जहाँ इसने नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार किया है, वहीं इसने राज्य की कानूनी और वित्तीय प्रणालियों में दीर्घकालिक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं।

सुझाव (Suggestions) : शोध के निष्कर्षों के आधार पर, नीति के प्रभावी और न्यायसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:

न्यायिक और प्रशासनिक सुधार

- **फास्ट-ट्रैकिंग अदालतें:** शराबबंदी अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए विशेष और फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाए ताकि मामलों के विशाल बैकलॉग को कम किया जा सके और जेलों की भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सके।
- **प्रशासनिक जवाबदेही:** अवैध शराब के व्यापार में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त और त्वरित कार्रवाई के लिए एक विशेष जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाए।
- **जमानत नीति में सुधार:** केवल शराब पीने के मामलों में (बनाम अवैध शराब के बड़े पैमाने पर व्यापार) जमानत नीतियों को उदार बनाया जाए ताकि अदालतों और जेलों पर अनावश्यक दबाव कम हो।

स्वास्थ्य और पुनर्वास पहल

- **व्यापक नशामुक्ति कार्यक्रम:** शराब पर निर्भरता वाले व्यक्तियों के लिए राज्य भर में उच्च गुणवत्ता वाले और सुलभ नशामुक्ति (De-addiction) केंद्रों की संख्या और फंडिंग बढ़ाई जाए। वर्तमान ध्यान केवल प्रवर्तन पर है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **स्वास्थ्य-केंद्रित जागरूकता:** शराब की लत को एक बीमारी के रूप में देखा जाए न कि केवल एक अपराध के रूप में, जिससे लोग बिना डर के मदद मांग सकें।

अवैध व्यापार पर नियंत्रण

- **सीमावर्ती सुरक्षा :** पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-आधारित और सख्त निगरानी बढ़ाई जाए।
- **खुफिया-आधारित प्रवर्तन :** निचले स्तर के उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, संगठित 'बूटलेगिंग' सिंडिकेट और अवैध आपूर्ति श्रृंखलाओं को लक्षित करने के लिए खुफिया जानकारी (Intelligence-based) पर आधारित प्रवर्तन को प्राथमिकता दी जाए।

References :

A. पुस्तकें और जर्नल लेख (Books and Journal Articles)

1 भट्टाचार्य, ए. (2021). Fiscal implications of prohibition: A study of select Indian states. Economic and Political Weekly, 56(12), 45-52.

2 गैलेंटर, एम. (2015). Alcohol and the social order: A global perspective. Oxford University Press.

3 कुमार, पी., और वर्मा, एस. (2020). Black market dynamics and governance failure: A case of liquor prohibition in Bihar. Journal of Public Policy Analysis, 15(3), 112-130.

4 मोहन, वी. (2018). The politics of prohibition in India. Routledge.

5 पॉल, आर., और झा, के. (2018). Women's agency and policy impact: Examining liquor ban in Bihar. Sociological Bulletin, 67(2), 180-198.

6 रेड्डी, एस., और मूर्ति, आर. (2020). Revenue loss versus social gain: A cost-benefit analysis of alcohol prohibition. Indian Journal of Economics, 101(403), 25-45.

7 शर्मा, ए., और गुप्ता, एम. (2014). The Gujarat prohibition model: Challenges and loopholes. Journal of Alcohol and Drug Studies, 8(1), 55-70.

8 सिंह, जे. (2017). The political economy of prohibition in Bihar. Economic and Political Weekly, 52(38), 65-72.

9 सिन्हा, डी., और रॉय, एन. (2020). Enforcement bias in prohibition: Targeting the poor in Bihar. Law and Society Review, 54(4), 987-1010.

(B) सरकारी रिपोर्ट और आधिकारिक प्रकाशन (Government Reports and Official Publications)

10. ADRI (Asian Development Research Institute). (2018). Impact Assessment of Liquor Ban in Bihar (Research Report No. 5). Patna: ADRI. (पृष्ठ 45-60)
11. बिहार सरकार, उत्पाद शुल्क विभाग. (2016). बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016. पटना: बिहार सरकार गजट अधिसूचना. (धारा 4-10)
12. NCRB (National Crime Records Bureau). (2017). Crime in India 2017 Report. New Delhi: Ministry of Home Affairs, Government of India. (तालिका 5A.1)
13. NFHS (National Family Health Survey). (2021). NFHS-5: Bihar Fact Sheet 2019-21. Mumbai: International Institute for Population Sciences (IIPS). (घरेलू हिंसा खंड, पृष्ठ 12)
14. नीति आयोग. (2021). Status of Social Sector in Indian States: A Comparative Analysis (Occasional Paper). New Delhi: Government of India.
15. RBI (Reserve Bank of India). (2022). State Finances: A Study of Budgets of 2021-22. Mumbai: RBI. (बिहार का राजकोषीय घाटा खंड, पृष्ठ 189)

(C) समाचार पत्र और पत्रिका लेख (Newspaper and Magazine Articles)

16. गुप्ता, एस. (2023, दिसम्बर 15). The recurring tragedy of hooch in Bihar: A systemic failure. The Hindu.
17. दैनिक समाचार रिपोर्ट. (2024, मार्च 10). Judicial backlog in Bihar: Courts drowning under prohibition cases. दैनिक जागरण.
18. द हिन्दू / इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट. (2023, अगस्त 5). The parallel economy of illegal liquor in Bihar. इंडियन एक्सप्रेस.

(D) अन्य स्रोत (Other Sources)

19. Transparency International. (2021). Corruption Perception in Sub-National Governance: India Report.

•